राज्यपाल सचिवालय, बिहार

लोकभवन, पटना–800022

(683)

पत्रांक- A/C-10/2001(P-1)/रा०स० सूचना दि०- 22.07.26

स्टाफ कार/वाहन की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक भवन, पटना परिसर स्थित गैरेज में रखे गए कुल 05 (पाँच) स्टाफ कार/वाहनों की "जहाँ है, जैसे है" के आधार पर खुली डाक द्वारा नीलामी की जाएगी। उक्त नीलामी लोक भवन, पटना के वाहन रद्दीकरण एवं नीलामी समिति की देखरेख में दिनांक–11.08.2026 को अपराह्न 12:00 बजे लोक भवन परिसर स्थित गैरेज में संपन्न होगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था कार्यालय अवधि में नयाचार पदाधिकारी, लोक भवन, पटना से संपर्क कर प्रस्तावित स्टाफ कारों/वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चेचिस संख्या	इंजन संख्या	MVI द्वारा न्यूनतम निर्णीत दर का मूल्यांकन
01	BR01DN0001	Mercede Benz	2016	WDD205006L011449	65192133166571	14,00,000/-
02	BR01PB0011	Tata Safari	2014	MAT617001ENG05577	22LDICOR09FVYJ08903	3,00,000/-
03	BR01BD0010	Tata Safari	2014	MAT617001ENE04305	22LDICOR09EVYJ07274	3,00,000/-
04	BR01PF0609	Gypsy	2014	MA5EGF41S00265562	G13BBN555081	1,30,000/-
05	DL12CE4138	Elentra	2012	MALDH41ULCM012909	D4FBCU192434	3,50,000/-

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वाहन ₹15,000/–(पंद्रह हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति (EMD) राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Under Secretary–Cum–DDO, Lok Bhavan Patna " के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट दिनांक–10.08.2026 को अपराह्न 06:00 बजे तक विहित प्रपत्र Annexure–A के साथ लोक भवन, पटना के रोकडपाल के पास जमा करना होगा।

2. प्रत्येक प्रतिभागी को पहचान के लिए आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3. केवल उन्हीं व्यक्तियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर दी हो तथा जिनके पहचान–पत्र का सत्यापन कर लिया गया हो।

4. सर्वाधिक बोलीदाता को छोडकर अन्य सभी प्रतिभागियों की प्रतिभूति राशि नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के 02 (दो) कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

5. सक्षम प्राधिकारी से नीलामी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के भीतर संपूर्ण नीलामी राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। राशि प्राप्त होने के पश्चात वाहन का कब्जा प्रदान किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

22/07/2026

6. वाहन रद्दीकरण एवं नीलामी समिति को बिना कोई कारण बताए नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने, तिथि परिवर्तित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7 नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में निम्नलिखित पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:-(1.) श्री अजय कुमार सिन्हा,लेखा पदाधिकारी,लोक भवन, पटना।मोबाइल नं.–7292999247(2.) रईस आजम रिजवी,नयाचार पदाधिकारी,लोक भवन,पटना। मोबाइल नं.--7292999247

Annexure–A

जमानत की राशि जमा करने का फॉर्मेट

बोली लगाने वाले का नामः–

बोली लगाने वाले का पताः–

मोबाईल संख्याः–

क्र० सं०	वाहन संख्या	**जमानत की राशि**	**अभ्युक्ति**
	कुल राशिः–		

बैंक ड्राफ्ट नंबर एवं तिथिः–

बैंक ड्राफ्ट की राशिः–

22/07/2020

(सुमन कुमार)
अपर सचिव
लोक भवन ,पटना ।

राजेश कुमार